पशु आहार, चारा उत्पादन के लिए उद्यमियों को 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी

भारत सरकार का राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन एल एम) उद्यमियों को पशु आहार और चारा गतिविधियों को शुरू करने के लिए कुल परियोजना लागत का 50% (50 लाख रुपये तक सीमित) तक की पूंजी सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

सरकार का अनुमान है कि यह 7 लाख लोगों के लिए रोज़गार पैदा करेगी और पशुधन पालने वाले 20 लाख परिवारों को स्थानीय स्तर पर सस्ता, गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक चारा प्राप्त करने में मदद करेगी।

आहार और चारा विकास पर अपने उप-मिशन के तहत, एन एल एम का उद्देश्य चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार करने के लिए चारा बीज लड़ी को मज़बूत करना और प्रोत्साहन के माध्यम से चारा ब्लॉक/घास की बेलिंग/साइलेज बनाने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।

यह योजना राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, राज्य पशुधन एजेंसी/राज्य पशुधन बोर्ड और भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (डी ए एच डी) के माध्यम से लागू की जा रही है।

मिशन के उद्देश्य

- आहार और चारा के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास।
- फ्रंटलाइन प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के माध्यम से चारा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और उनका प्रसार करना।
- स्थानीय स्तर पर सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध कराना।

- उद्यमियों को आपूर्ति करने के लिए स्थानीय किसानों द्वारा चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार चारे का उपयोग नकदी फसल के रूप में होगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- लाभार्थियों यानि उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ), किसान सहकारी समितियों (एफ सी ओ), डेयरी सहकारी समितियों, संयुक्त देयता समूहों (जे एल जी), स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) और धारा 8 कंपनियों को मूल्यवर्धन, जैसे कि भूसा/साइलेज/कुल मिश्रित राशन (टी एम आर)/चारा ब्लॉक और चारे का भंडारण, करने के लिए परियोजना लागत पर 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। यह ग्राम स्तर पर आवश्यकता के अनुसार भूसा/साइलेज से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास/चारा ब्लॉक बनाने वाली इकाइयां जैसे बेलर, ब्लॉक बनाने की मशीन, टी एम आर मशीन/उपकरण, चारा हार्वेस्टर/रीपर, बिजली से संचालित भारी भूसा कटर और कोई अन्य पी एच टी उपकरणों की खरीद के लिए है।
- उद्यमियों/योग्य संस्थाओं को बैंक ऋण के माध्यम से या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जैसे वित्तीय संस्थान या स्व-वित्त से शेष राशि की व्यवस्था करनी होगी।
- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना की शेष राशि के वित्तपोषण के लिए पात्र संस्थाएं पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (ए एच आई डी एफ) के तहत भी लाभ उठा सकती हैं।

सहायता का प्रतिरूप

- दो किश्तों में कुल 50% पूंजीगत सब्सिडी (50 लाख रुपये तक सीमित)। सब्सिडी दो समान किश्तों में प्रदान की जाती है।

- पहली किश्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा अनुसूचित बैंक या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) जैसे वित्तीय संस्थानों को बैंक या वित्तीय संस्थान के बाद उद्यमी/पात्र संस्थाओं के खाते में जमा करने के लिए जारी की जाती है। लाभार्थी को ऋण की पहली किश्त जारी करता है और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एस आई ए) द्वारा इसकी पुष्टि करता है। परियोजना के पूरा होने और एस आई ए द्वारा प्रमाणन के बाद लाभार्थी सिडबी द्वारा दूसरी किश्त जारी करने के पात्र होंगे।
- स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाना चाहिए जहां उद्यमियों/पात्र संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किश्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाती है जहां लाभार्थी का खाता है।
- सब्सिडी तभी जारी की जाती है जब लाभार्थी ने बुनियादी ढांचे के लिए परियोजना के लिए 25% लागत का खर्च किया हो और एस आई ए द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और एस आई ए द्वारा सत्यापन के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- स्व-वित्तपोषण प्रणाली द्वारा उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को सब्सिडी से परे परियोजना की शेष लागत के लिए तीन साल के लिए वैध अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के नाम से प्रदान की जाती है।
- मूल बैंक गारंटी को एस आई ए की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा, बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है।
- कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है।

पात्र संस्थाएं

निजी व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ), किसान सहकारी संगठन (एफ सी ओ), संयुक्त देयता समूह (जे एल जी), डेयरी सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) और धारा 8 कंपनियां।

परियोजना की निगरानी

एस आई ए इसके संचालन के संबंध में पूरा होने के बाद दो साल की अवधि के लिए परियोजना की निगरानी करेगी।

योजना के बारे में पूरी जानकारी वेबसाइट https://nlm.udyamimitra.in पर उपलब्ध है।